न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1371/III/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24.9.2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 90/2008–09 निगरानी

1– मानसिंह 2– सीताराम
पुत्रगण कल्ला जाटव
निवासीगण ग्राम सेमई
तहसील कैलारस जिला मुरैना ------आवेदकगण

विरूद्ध

1– जसबंत पुत्र रमले जाटव
2– केदार पुत्र तुलसी जाटव
दोनों निवासी ग्राम सेमई
तहसील कैलारस जिला मुरैना
3– बासुदेव पुत्र करन जाटव
4– सुरेश पुत्र भग्गू जाटव
निवासीगण ग्राम मामचोन
तहसील कैलारस जिला मुरैना
5– मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर मुरैना ----- अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक क्र–1 की ओर से अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक क्र–2,3,4 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.9.2009 विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार

कैलारस के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की, कि ग्राम सेंमई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1429 रकबा 0.68 आरे (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) की भूमिस्वामिनी उनकी बढ़माई महिला बुधो पत्नि स्व0 छीतरिया जाटव थी, जिन्होनें जेठ शुदी चौथ संबत 2028 को पंचगणों के समक्ष उनके हित में बसीयत की थी, अब महिला बुधो पत्नि स्व0 छीतरिया जाटव की मृत्यु हो चुकी है इसलिये वादग्रस्त भूमि पर बसीयत पर से नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण क्रमांक 8/2006-07 अ-6 पंजीबद्ध किया एंव जांच तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28.2.2007 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि के बजाय लिपिकीय त्रृटिवश सर्वे नंबर 1481 लिखते हुये नामांत्रण करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ केंप कैलारस के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 27/2007-08 अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 16.1.2009 पारित किया गया तथा पूर्व में जारी स्थगन आदेश में अंकित सर्वे नंबर 1481 के बजाय 1429 माने जाने का सुधार किया गया एंव प्रकरण अवधि विधान की धारा-5 एंव मूल अपील पर बहस हेतु नियत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्र0क0 10/08-09 निगरानी में पारित आदेश आदेश दिनांक 28.2.2007 से तहसीलदार कैलारस व्दारा प्रकरण क्रमांक 8/2006-07 अ-6 में पारित आदेश दि. 28.2.07 को रिव्यु में लिये जाने हेतु अनुमति लेने एंव रिव्यु करने के निर्देश के साथ निगरानी का निराकरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क.90/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 24.9.2009 सेतीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा महिला

बुधो पत्नि स्व0 छीतरिया जाटव के बेओलाद मरने के आधार पर वादग्रस्त भूमि संहिता की धारा 177 के अंतर्गत शासकीय घोषित करते हुये निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 2,3,4 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 30.6.09 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने तहसीलदार कैलारस के आदेश दि. 28.2.07 को इस आधार पर निरस्त किया है कि तहसीलदार कैलारस द्वारा आदेश दिनांक 28.2.2007 में सर्वे नंबर 1481 पर नामान्तरण करने आदेश दिया है जबकि नामान्तरण का मामला सर्वे नंबर 1429 का है इसलिये प्रकरण पुनरावलोकन में लेने की अनुमति प्राप्त कर पुनः कार्यवाही की जाय। अपर कलेक्टर मुरैना का यह आदेश वास्तविक स्थिति के विपरीत है, क्योंकि तहसीलदार कैलारस से आदेश दिनांक 28.2.2007 में अपलेखन की त्रृटि हुई है तहसीलदार को म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत ऐसी त्रृटि दुरूस्त करने की अधिकारिता है और इसी धारा में प्राप्त शक्ति के अधीन अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ केंप कैलारस ने अंतरिम आदेश दिनांक 16.12.08 का सुधार अंतरिम आदेश दिनांक 16.1.09 से किया है, परन्तु अपर कलेक्टर मुरैना ने इन तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 30.6.09 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम सेमई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1429 रकबा 0.68 आरे की भूमिस्वामी

महिला बुधो पत्नि स्व0 छीतरिया जाटव थी, जो बेओलाद मरी है। आवेदक कमांक 1 व 2 महिला बुधो के पति की बहिन की संतानें हैं एंव वादग्रस्त भूमि के बसीयतग्रहीता हैं।

☐ **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा-15 - हिन्दू नारी की संपत्ति - समस्त चल-अचल संपत्ति जो हिन्दू नारी के स्वामित्व की संपत्ति है उसके उत्तराधिकार के संबंध में इस धारा के अंतर्गत प्रावधान है। धारा- 14(1) के अनुसार ऐसी संपत्ति जिस पर हिन्दू नारी का सीमित स्वामित्व था वह उसके पूर्ण स्वामित्व की संपत्ति है।**

☐ **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा-15 उपधारा (1) (ख) - यदि निर्वसीयत (Intestate) मृत हिन्दू नारी के उपधारा (1) (क) में वर्णित कोई वारिस उस मृत हिन्दू नारी की मृत्यु के समय जीवित न हो तो उस मृत हिन्दू नारी की संपत्ति पति के वारिसों को उत्तराधिकार में प्राप्त होगी।**

आवेदकगण महिला बुधो के पति की बहिन की संतानें हैं एंव वादग्रस्त भूमि के बसीयतग्रहीता हैं अर्थात महिला बुधो निर्वसीयत नहीं मरी है। यदि बसीयत विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, तब बसीयत प्रमाणित करने हेतु नियम/अधिनियमों दी गई व्यवस्था अनुसार कार्यवाही पर विचार करना होगा। तहसीलदार कैलारस के प्रकरण में बसीयत पृष्ठ 12 पर संलग्न है। बसीयत वास्तविक है अथवा नहीं - पुष्टिकरण में ग्रामीण साक्षी लोदूराम पुत्र समोला आयु 60 वर्ष , परसादी पुत्र गोधना आयु 65 वर्ष के कथन तहसीलदार के समक्ष हुये हैं यह दोनों साक्षी महिला बुधो व्दारा बसीयत करने का पुष्टिकरण कर रहे हैं ऐसी स्थिति में बसीयत के सम्बन्ध में शक की गुॅजायश नहीं है। साक्षीगण के कथनों से बसीयत का पुष्टिकरण होने के कारण आवेदकगण वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण कराने के पात्र है, किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 24.9.2009 पारित करते समय उक्त पर विचार न करने में भूल की हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क. 90/08-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.9.2009 एंव अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा प्र0क0 10/08-09 निगरानी में पारित आदेश आदेश दिनांक 28.2.2007 तथा अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ केंप कैलारस द्वारा प्रकरण कमांक 27/2007-08 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16.12.08 एंव 16.1.2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार कैलारस द्वारा प्रकरण कमांक 8/2006-07 अ-6 में पारित आदेश दि. 28.2.07 सर्वे नंबर 1481 के बजाय 1429 पढ़े जाने के सॅशोधन को यथावत् रखा जाकर भूमि सर्वे कमांक 1429 रकबा 0.68 हैक्टर पर आवेदकगण का नामान्तरण यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर